मानवाधिकार एवं पुलिसः बिहार के विशेष सदंर्भ में

बिपीन कुमार*

मानवाधिकार से तात्पर्य उन अधिकारों से है, जिसका प्रत्येक व्यक्ति एक मानव होने के नाते अधिकारी है। ये अधिकार मानव होने के नाते अन्तर्भूत, अन्तर्निहित और अदेय है। सभी मनुष्य जन्म से समान हैं और इसलिए जन्म, नस्ल, लिंग, भाषा, क्षेत्र, राष्ट्रीयता, सम्पत्ति या स्थिति के भेद–भाव बिना सभी इन अधिकारों के लिए समान रूप से अधिकृत हैं। मानवाधिकार सार्वभौमिक है और सभी मनुष्यों को मिलना चाहिए भले ही उनके राज्य के कानून कुछ भी हो।

मानवाधिकार संरक्षण के दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम प्रयास संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया और 10 दिसम्बर 1948 को महासभा द्वारा सार्वजनिक घोषणा पत्र पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र–घोषणा पत्र पहला ऐसा दस्तावेज है जिसमें पुरुषों एवं मलिहलाओं के बीच समान अधिकारों की बात कही गई।[1]

भारत को औपनिवेशिक सरकार से मुक्ति मिलने के बाद यहाँ एक लोकतांत्रिक और जन कल्याणकारी सरकार की स्थापना की गई और 26 जनवरी, 1950 को लागू संविधान के भाग–3 के अनुच्छेद 12–35 में मौलिक अधिकार के रूप में मानवाधिकार की गारण्टी दी गई। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(घ) में कहा गया है ''मानव अधिकार'' से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।[2]

भारतीय संविधान में निम्नलिखित छः प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है।[3]

1. समता का अधिकार (अनु. 14 से 18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनु.19 से 22)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु. 23 से 24)
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25 से 28)
5. संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार (अनु. 29 व 30)
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32)

***सीनियर रिसर्च फेलो इतिहास विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना।**

अनु. 32 में मूल अधिकारों के सम्बन्ध में किसी प्रकार के अतिक्रमण की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार का अधिकार अनु. 226 में राज्य के उच्च न्यायालयों को प्रदान किया है।

आजादी के बाद गठित सरकार और संविधान द्वारा 'विधि का शासन' की स्थापना की गई। इस व्यवस्था में पुलिस का दायित्व होता है कि वह राज्य के निवासियों को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराये। अपराध का पता लगाये तथा अपराधियों को गिरफ्तार कर उसे सजा दिलाये और पीड़ित को न्याय दिलाए। ''बिहार पुलिस अधिनियम, 2007'' के प्रस्तावना में कहा गया है कि ''व्यक्तियों के मानव अधिकारों का संवर्द्धन और उनके प्रति आदर तथा उनके सिविल, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण करना कानून का प्रथम दायित्व है।''

इसी तरह से बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 के अध्याय प्ट में पुलिस की भूमिका, कार्य, कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व का वर्णन करते हुए धारा 31(क) में कहा गया है कि निष्पक्ष रूप से कानून का समर्थन करना तथा उसे लागू करना और जीवन, स्वतंत्रता, सम्पत्ति, मानव अधिकारों सहित जनमानस के सदस्यों की गरिमा का संरक्षण करना; पुलिस का मुख्य कर्तव्य होगा।[4]

अधिनियम के धारा 33 में बिहार पुलिस के सामाजिक कर्त्तव्यों का वर्णन किया गया है, जो निम्न प्रकार है[5] –

(क) जनता के सदस्यों और विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं बच्चों के साथ व्यवहार करते समय शालीनता एवं नम्रता से पेश आए;

(ख) जनता के सदस्यों विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, गरीबों तथा दीनहीनों और शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, जो सड़कों या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अपने आपको असहाय पाते हैं या अन्यथा सहायता और संरक्षण चाहते हैं–का मार्गदर्शन करना और सहायता देना,

(ग) अपराध और सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों को सभी अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराना तथा उन्हें बिना किसी चिकित्सकीय विधिक औपचारिकताओं के खासकर यह सुनिश्चित करना कि उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध हों और उनके मुआवजे तथा अन्य कानूनी दावों में सहायता करना,

(घ) सभी परिस्थितियों में खासकर विभिन्न समुदायों, वर्गों, जातियों तथा राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष के दौरान यह सुनिश्चित करना कि अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखते हुए,

पुलिस का आचरण निष्पक्षता तथा मानवीय अधिकारों के सिद्धांतो के अनुरूप हों,

(ड.) छिपकर, आपत्तिजनक हावभाव एवं इशारा या टिप्पणी करने या उत्पीड़न पहुंचाने सहित सार्वजनिक स्थलों तथा सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं तथा बच्चों के उत्पीड़न को रोकना,

(च) किसी व्यक्ति या संगठित दल द्वारा अपराधी एवं शोषण के विरुद्ध जनता के सदस्यों, खासकर महिलाओं, बच्चों और गरीब एवं दीनहीन व्यक्तियों को सभी अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराना, और

(छ) अभिरक्षा में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी रूप से मान्य आहार एवं आश्रय का प्रबंध करना तथा उसे सभी व्यक्तियों को सरकार से उपलब्ध होने वाली कानूनी सहायता, भोजन के प्रावधानों की जानकारी देना और इस संबंध में प्राधिकारियों को भी सूचित करना।

अधिनियम में वर्णित कर्त्तव्यों का पालन शायद ही पुलिस द्वारा किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से वर्तमान तक पुलिस की छवि वैसी ही जैसी ब्रिटिश सरकार के दौरन हुआ करती थी। कर्त्तव्य और दायित्व के दृष्टिकोण से पुलिस का स्तर आज और गिर गया है। पुलिस और अपराधियों के बीच सांठ–गांठ का उदाहरण खुलेआम देखने को मिलती है। 'पुलिस' शब्द भय और आतंक का पर्याय बन गया है। पुलिस द्वारा झूठे मुकदमों में फंसा देना, पुलिस हिरासत में यातना देना, घूसखोरी जैसी घटनाएँ आम बात हो गई है।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993, तथा इसके तहत गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 1993–94 में बिहार पुलिस के खिलाफ कुल 12 शिकायत दर्ज कराये गए, जिसमें 4 लोगों को हिरासत में मौत तथा पुलिस की अन्य अभिकथित ज्यादतियों के 8 मामले शामिल थे।[6]

पुनः 1994–95 में पुलिस हिरासत में 17 मौतें, 3 अवैध निरोध के मामले तथा पुलिस की अन्य अभिकथित अन्य आदमियों के 47 मामलों सहित बिहार पुलिस के खिलाफ कुल 67 मामले दर्ज करवाये गए।[7] वर्ष 1993–94 के पश्चात् राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में हिरासतीय मौतों के खिलाफ शिकायतों में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई। 1995–96 में 75 (पुलिस हिरासत में 8 तथा न्यायिक हिरासत में 67), 1996–97 में 93 (पुलिस हिरासत में 14 तथा न्यायिक हिरासत में 79)[8] लोगों की हिरासत में मौत हुई। हिरासत में मौतों की संख्या में वर्तमान समय में भी निरंतर वृद्धि हो रही है।

इसका मुख्य कारण पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान थर्ड डिग्री का इस्तेमाल तथा न्यायिक हिरासत के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। पुलिस

किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते ही उसे अपराधी मान लेती है तथा उसके साथ सख्ती से पेश आती है। पुलिस यह भूल जाती है कि गिरफ्तार व्यक्ति के भी कुछ मानवाधिकार होते हैं। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी कई आदेश दिशानिर्देश दिए गए हैं, किन्तु आज भी स्थानीय थाने के अधिकारियों को या तो उनके बारे में कोई जाकनारी नहीं है या उनके लिए इन दिशा निर्देशों का कोई मतलब नहीं है। डी.के. बसु बनाम बैंक ऑफ बंगाल के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में 11 दिशानिर्देश दिए थे जो निम्न प्रकार हैं।[9]

1. गिरफ्तारी करने के लिए एवं पूछताछ के लिए गए, पुलिस कर्मी को अपनी वर्दी में अपनी पहचान लगा हुआ नेम प्लेट/पहचान पत्र रखना आवश्यक है जिससे कि उसकी तथा उसके पद की सही पहचान हो सके। इसी प्रकार उक्त पुलिस कर्मियों की पहचान का विवरण एक रजिस्टर में भी अवश्य अंकित होना चाहिए।

2. गिरफ्तारी के लिए गए पुलिसकर्मी द्वारा गिरफ्तारी के समय एक मेमो ऑफ अरेस्ट बनाया जाना आवश्यक है। इस मेमो में गवाही ऐसे व्यक्ति की अवश्य होनी चाहिए जो कि गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के परिवार का हो या कि उसके इलाके का। एक संभ्रात व्यक्ति हो। इसके अतिरिक्त मेमो में गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर के अलावा गिरफ्तारी का समय एवं दिनांक अंकित होना चाहिए।

3. गिरफ्तारी या बन्दी बनाने के लिए पुलिस थाने में लाने या पूछताछ केन्द्र पर या कि लॉक–अप में रखे जाने पर उस व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त हैं कि उसके साथ उसका मित्र या संबंधी या कोई अन्य व्यक्ति हो या उसके कोई जानकार व्यक्ति को इस संबंध में यथाशीघ्र बताया जाना भी आवश्यक हैं। इस विषय में यह प्रयास करना चाहिए कि गिरफ्तारी के समय बनाये गए मेमो ऑफ अरेस्ट में उस व्यक्ति के भी हस्ताक्षर हों।

4. गिरफ्तारी का समय और स्थान संबंधित रिश्तेदार या मित्र को बताया जाना आवश्यक है किन्तु यदि गिरफ्तारी अन्य जिले में की गई है तो ऐसी दशा स्थिति में संबंधित पुलिस थाने या जिले की कानूनी सहायता संस्था के माध्यम से उपर्युक्त जानकारी 8 से 12 घण्टे में संबंधित रिश्तेदार या मित्र को बताया जाना आवश्यक है।

5. नजरबंदी या गिरफ्तारी के तुरंत बाद संबंधित व्यक्ति को यह जानकारी आवश्य दे दी जाय जिससे कि वह किसी भी परिचित को इस संबंध में बता सकें।

6. गिरफ्तारी के स्थान पर डायरी में यह अंकित किया जाना आवश्यक है कि किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तथा डायरी में यह भी बताया जाना आवश्यक है कि गिरफ्तारी की जानकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के किस परिचित को दी जा चुकी है तथा उसका नाम और अन्य जानकारियां उसमें अंकित होनी चाहिए। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति किस पुलिस अधिकारी की हिरासत में हैं, यह भी संबंधित डायरी में अंकित होना चाहिए।

7. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अनुरोध पर गिरफ्तारी के समय डॉक्टरी जांच की जा सकती है जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति की छोटी और बड़ी चोटों की जाँच शामिल है। इन्सपेक्शन–मेमो गिरफ्तार व्यक्ति तथा उस पुलिस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा जिसने कि गिरफ्तारी की है।

8. गिरफ्तारी के बाद प्रत्येक 48 घण्टे में संबंधित गिरफ्तार व्यक्ति की डॉक्टरी जांच डाक्टर द्वारा होगी। यह डॉक्टर निदेशक, स्वास्थ विभाग द्वारा स्वीकृत होगा। निदेशक स्वास्थ सेवाएं इस विषय में तहसील एवं जिला स्तर पर एक डॉक्टरों का पैनल बनाएगी।

9. मेमो ऑफ अरेस्ट से संबंधित सारे कागजात इलाके के मजिस्ट्रेट को अवश्य भेजे जाएंगे।

10. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जाएगी किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि पूरी पूछताछ के दौरान उसका वकील उपस्थित रहे।

11. हर जिला एवं राज्य स्तर पर एक पुलिस कन्ट्रोल रूम बनाया जाएगा जहाँ पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति तथा उसको रखे गए स्थान के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। यह जानकारी उस अधिकारी द्वारा 12 घण्टे के अन्दर उपलब्ध कराई जाएगी जिसने कि संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तथा उपर्युक्त जानकारी एक नोटिस बोर्ड पर भी दिखलायी जाएगी।

उपर्युक्त दिशा–निर्देश के बावजूद प्रत्येक वर्ष शिकायत मानवाधिकार आयोग में दर्ज करवाये जा रहे हैं। आज की पुलिस व्यवस्था में कई थानों में आदर्श थानों का बोर्ड मिल जाता है किन्तु थाने के अन्दर आम जनता के साथ किया गया व्यवहार पुलिस हिरासत में प्रश्न–चिन्ह् खड़ा करता है। अभी भी पुलिस हिरासत में मौत के शिकायतें दर्ज करवाई जा रही है त्था कुछ ऐसे मामले भी हैं जिसमें राष्ट्रीय मानावधिकार आयोग ने सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलवाया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1998–1999 से वर्ष 2015–2016 के बीच 96 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई तथ 2646 लोगों की न्यायिक हिरासत में।[10] इसके अतिरिक्त बिहार पुलिस के खिलाफ फर्जी मुठभेड़, निर्दोष को झूठे मुकदमे में फंसाना तथा अवैध हिरासत संबंधी शिकायतें भी आयोग में दर्ज है।

बिहार पुलिस के खिलाफ कुछ महत्वपूर्ण शिकायतें जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार से मुआवजे की राशि सरकार से दिलवायी हैः–

• छपरा जिले में फर्जी मुठभेड़ में मजदूर की मौत (मामला सं0– 3879/4/98–99)[11]

छपरा जिले के रिविलगंज थाना अन्तर्गत एक मजदूर परसु राम को घर से खींचकर सहायक उपनिरीक्षक सुरेन्द्र पासवान द्वारा हत्या कर दी गई तथा

पुलिस जांच में उसे एक खुंखार अपराधी घोषित कर दिया गया। जब मानवाधिकार आयोग द्वारा मामले की जांच की गई तो स्पष्ट हुआ कि परशु राम एक मजदूर था तथा अपने परिवार के साथ वहां रहता था। तदोपरान्त आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(3) के तहत सरकार को कारण बताओ नोटिस जरी करते हुए पीड़ित परिवार को एक लाख रुपये की मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश दिया।

• **पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमा (मामला सं0–3321/4/97–98)[12]**

भोजपुर जिले के मो. निाजम तथा मो. हासिम को देवकी कुमारी की हत्या के फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि देवकी कुमारी जीवित थी। बाद में मानवाधिकार आयोग में शिकायत के पश्चात् उन्हें रिहा करने की प्रक्रिया शुरु हुई तथा जांच में दोषी पुलिस अधिकारियों के वेतन से काटकर 20000–20000 रुपए मुआवजे के रूप में पीड़ितों को देने का आदेश दिया गया।

• **पुलिस द्वारा अवैध हिरासत में रखने तथा यातना देन के कारण नागेश्वर सिंह की मौत (मामला सं0–7482/95–96/एन.एच.आर.सी.)[13]**

वैशाली निवासी कामेश्वर सिंह का बिदुपुर थाने में बरौनी रेल पुलिस द्वारा अवैध तरीके से पुलिस हिरासत में रखने तथा उसे कठोर यातना देने के कारण 25 अगस्त, 1993 को मृत्यु हो गयी! जिसकी शिकायत कामेश्वर सिंह द्वारा राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग को की गई और आयोग के निर्देशानुसार बिहार सरकार ने पीड़ित के परिजन को 3 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर भुगतान किया।

• **जहानाबाद पुलिस द्वारा गैर–कानूनी निरोध, शारीरिक यातना तथा गलत तरीके से फंसाया जाना (मामला सं0–1762/4/2002–2003)[14]**

जहानाबाद जिले के धरनई गांव निवासी हास्मी खान को कुर्था बाजार थाना प्रभारी अमरेन्द्र कुमार झा ने अज्ञात महिला के शव को अपने जीप में लादकर ले जाने के आरोप में 3 अगस्त 2002 को हिरासत में ले लिया तथा उसे 6 दिनों के अवैध हिरासत में रखने के पश्चात् केस संख्या–299/2002 यू/एस 302/201/34 आइ.पी.सी. के तहत दर्ज कर लिया गया तथा 6–7 अगस्त 2002 को कोर्ट में पेश किया गया। पीड़ित के भाई मो. हारूण खान द्वारा राष्ट्रीय मानाधिकार आयोग में इसकी शिकायत दर्ज करने तथा आयोग द्वारा सरकार के निर्देश के पश्चात् जांच अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया तथा पीड़ित को 25,000 रु0 का सरकार द्वारा तत्काल राहत प्रदा किया गया।

• **अरूण कुमार सिंह की पटना में पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार के कारण हुई मृत्यु (मामला सं0–18014/2002–2003–ए.डी.एल/एफ 188/4/2000– 2001–सी.डी.)[15]**